

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0,

लखनऊ

56

पत्रांक: 962/R-9/16

दिनांक: 31-03-16

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,

अवधवन प्रभाग, लखनऊ।

विषय:- चूड़ामनपुरवा सम्पर्क मार्ग के सम्बन्ध में।

संदर्भ: आपका पत्र संख्या 1022/टी0डी0/2014-10 लखनऊ दिनांक 30 मार्च 2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें इंगित की गयी कमियों के सम्बन्ध सूचना निम्नवत् है :-

1. प्रस्तावित संरक्षण जिस पर मार्ग का निर्माण किया जाना है वह चूड़ामनपुरवा की आंशिक आबादी भाग से निकलते हुये वृद्धाश्रम तक जाता है। इस क्षेत्र की परिमिति में इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। दर्शायी गयी चकरोड ही इस आश्रम को जाता है। जिसमें रिजर्व फारेस्ट की भूमि के पूर्ववत्ती भाग में स्थित मार्ग का विस्तार किया जाना है।
2. प्रश्नगत भूमि आरक्षित वन है। अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में लाया गया है कि एक हेक्टेयर से कम भूमि के लिये समतुल्य भूमि का प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है। अतः इस पर नियमानुसार विचार करने का कष्ट करें।
3. आपके संज्ञान में लाना समीचीन होगा कि इस मार्ग के प्रस्ताव के गठन हेतु क्षेत्रीय जन प्रतिनिधि मा0 श्री गोमती यादव विधायक, बी0के0टी0 द्वारा अनुरोध किया गया है (पत्र की छाया प्रति संलग्न है) इस मार्ग के निर्माण होने से चूड़ामनपुरवा ग्राम एवं वृद्धाश्रम में आने वाले जन सामान्य को लाभ पहुंचेगा।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, लखनऊ